

नगर परिषद, शाहपुरा जयपुर

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/SHAHUPURA JAIPUR/FIRENOC/2025-26/62304
जारी दिनांक: 13-JAN-2026 वैधता दिनांक: 12-JAN-2028

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: MANJULA SHARMA
आवेदक का पता: LAXMI NAGAR, BIDARA, SHAHPURA, JAIPUR, RAJ. 303103

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन B D MEMORIAL KALYAN SANSTHAN, 04 A B, OLD RTO OFFICE, LAXMI NAGAR, , JAIPUR, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह अस्थायी (Temporary) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्त:-

- यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा
- भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाये जाने की स्थिति में यह अभिंशा पत्र निरस्त माना जायेगा।
- पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पंप व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्याल स्थिति में रखने के बाध्य होंगे।
- अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथी से एक वर्ष की अवधि हेतु ही मान्य होगा एक वर्ष बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा। अन्यथा अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
- फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घण्टे प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवाई जाकर सिस्टम का रख रखाव संचालन करना अनिवार्य होगा
- फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिये पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा
- रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टॉवर में टॉवर की उचाई जितना हर समय रखना होगा
- यह अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा
- यह अनापत्ति प्रमाण रूफटॉफ रेस्टोरेन्ट के लिये मान्य नहीं है जिस भाग के लिये अनापत्ति जारी किया जा रहा है वहा पर रूफटॉफ रेस्टोरेन्ट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित होगा।
- भवन के अन्दर किसी भी प्रकार का विस्फोट एवं अतिज्वलनीय पदार्थ नहीं रखा जावे
- भवन के समस्त स्टाफ व सिक्योरिटी गार्ड्स का वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलवाया जाना आवश्यक होगा।
- अग्निशमन उपकरण समयावधि में रिफिल करवाना होगा
- निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिा निर्देशों का पालना करना आवश्यक होगा



अग्निशमन अधिकारी
नगर परिषद, शाहपुरा जयपुर